उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए न्याय मार्ग, इलाहाबाद -- 211 001 (उ०प्र०)

विज्ञापन संख्या 48 **दिनांक : 9 जून, 2017**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित परिनियमों में निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित अभ्यर्थियों से अनुमन्य वेतनमान (रु० 37400–67000 ग्रेड वेतन - 10000) तथा भत्तों सहित निम्न विवरणानुसार प्रदेश के अनुदानित अशासकीय स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालयों में रिक्त प्राचार्य पदों के सापेक्ष 284 पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं |

क) स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पुरुष) - संख्या : 159
ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालय (महिला) - संख्या : 37
ग) स्नातक महाविद्यालय (पुरुष) - संख्या : 71
घ) स्नातक महाविद्यालय (महिला) - संख्या : 17

- उपरोक्त में विधि महाविद्यालय (स्नातक पुरुष) - संख्या : 1
- उपरोक्त में बी० एड० महाविद्यालय (स्नातक पुरुष) - संख्या : 3
- उपरोक्त में बी० एड० महाविद्यालय (स्नातकोत्तर पुरुष) - संख्या : 1
- उपरोक्त में बी० एड० महाविद्यालय (स्नातकोत्तर महिला) - संख्या : 1

1. स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पुरुष) ,स्नातकोत्तर महाविद्यालय (महिला) , स्नातक महाविद्यालय (पुरुष) , स्नातक महाविद्यालय (महिला) , विधि महाविद्यालय, बी० एड० महाविद्यालय का विवरण आयोग के पोर्टल www.uphesconline.in पर "View Advertisement" आईकन को क्लिक करके देखा जा सकता है |
2. इच्छुक अभ्यर्थी जो 01 जुलाई 2016 को 62 वर्ष से अधिक आयु के नहीं हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक धारित करते हैं, वे आयोग के पोर्टल www.uphesconline.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं | आवेदन आनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे | डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे |
3. आनलाइन रजिस्ट्रेशन व आवेदन-पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरा जाना है| शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (API) प्रोफार्मा अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में भरा जा सकता है| हिन्दी में API भरने के लिए यूनीकोड फान्ट - मंगल का प्रयोग ही मान्य होगा |अन्य किसी भी फान्ट में हिन्दी में भरा गया API प्रोफार्मा स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा आवेदन स्वत: निरस्त माना जावेगा |
4. विज्ञापन से सम्बंधित आनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, शैक्षिक अर्हता, पाठ्यक्रम, शैक्षिक प्रदर्शन सूचक प्रोफार्मा व अन्य समस्त विस्तृत विवरण / दिशा निर्देश आयोग के पोर्टल www.uphesconline.in पर उपलब्ध हैं | इस पोर्टल पर आयोग की वेब साईट www.uphesc.org पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी पहुंचा जा सकता है |
5. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 13 जुलाई, 2017 है | इस तिथि के उपरांत प्राप्त अथवा अपूर्ण आनलाइन आवेदन-पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा |
6. शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (Academic Performance Indicator) प्रोफार्मा मय साक्ष्यों के आयोग कार्यालय में प्राप्ति की अंतिम तिथि 13 अगस्त, 2017 है|
7. शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (Academic Performance Indicator) प्रोफार्मा को आनलाइन न भरने अथवा आनलाइन भरे हुए प्रोफार्मा के प्रिंट को मय साक्ष्यों के आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि तक प्राप्त न होने पर आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा |
8. उक्त पद के आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1.	सामान्य	3000.00
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3000.00
3.	अनु0जाति	2000.00
4.	अनु0 जनजाति	2000.00

\+

ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क (जमा करने के विकल्प के आधारपर) निम्न प्रकार देय होगा	
क्रेडिट कार्ड द्वारा	आवेदन शुल्क का 1% + सर्विस टैक्स
डेबिट कार्ड द्वारा	रु० 2000/- आवेदन शुल्क पर आवेदन शुल्क का 0.5% + सर्विस टैक्स
	रु० 3000/- आवेदन शुल्क पर आवेदन शुल्क का 1% + सर्विस टैक्स
PNB की नेट बैंकिंग से	रु० 02.00 + सर्विस टैक्स
अन्य बैंको की नेट बैंकिंग से	रु० 10.00 + सर्विस टैक्स
ई चालान द्वारा	रु० 15.00

9. महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे |

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों व शारीरिक विकलांग जो उ०प्र० के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेगे |
11. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थिओं को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी |
12. निदेशक उच्च शिक्षा उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गए अधियाचन के अनुसार प्राचार्य पदों में क्षैतिज आरक्षण व श्रेणीवार आरक्षण शून्य है |
13. पुरुष अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (महिला) अथवा स्नातक (महिला) महाविद्यालयों के प्राचार्य पदों के लिए अर्ह नहीं होंगे |
14. महिला अभ्यर्थी स्नातकोत्तर एवं स्नातक (महिला/पुरुष) चारों प्रकार के महाविद्यालयों के प्राचार्य के पदों के लिए अर्ह होंगी |
15. अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भलीभांति सुनिश्चित कर लें कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं उसके लिए विज्ञापन में दी गयी अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करते हैं, तभी आवेदन करे| विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से कम योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगें|
16. अभ्यर्थियों को परीक्षा / साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर उन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा |
17. परीक्षा / साक्षात्कार/नियुक्ति हेतु किसी भी रूप में सिफारिश अयोग्यता मानी जायेगी तथा परीक्षा / साक्षात्कार/नियुक्ति हेतु अनर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा |
18. आनलाइन आवेदन पत्र में गलत सूचना देने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है |
19. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है |
20. विज्ञापन के किसी पद विशेष का बिना चयन करने/ न करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा |
21. आनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी यदि किसी प्रकार की कठिनाई का निवारण चाहते हैं तो किसी भी कार्यदिवस में आयोग के हेल्प लाइन नम्बर 7518404901 या 7518404902 पर संपर्क कर सकते हैं |

सचिव

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

इलाहाबाद